

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/95
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00086
CICOM/R/2018/00256

दिनांक: 12.04.2018

अपीलकर्ता : श्री अजहर अली,
ग्राम व पो0 - दमला,
वाया - कमतौल, जिला - मधुबनी,
बिहार - 847304.

निर्णय की तारीख: 12.04.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.03.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	31.03.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	151/09.04.2018 (121781/06.04.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (सी.आर.-1) द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

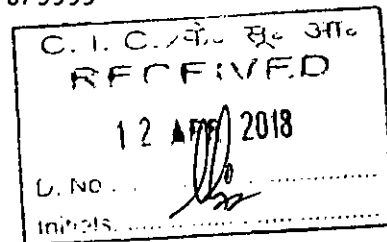
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 09.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक (सी.आर.-1) द्वारा दिनांक 21.03.2018 को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसंग है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि श्री कृष्ण अवतार तलवार, 1) द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन करें।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का पोस्टल आर्डर सं. 29 एफ 873995 आवेदक को वापस किया जाता है।

संलग्नक - दस रु0 का पोस्टल आर्डर सं. 29 एफ 873995



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


12/04/18